"निर्धनता दैवीय श्राप नहीं अपितु मानवीय सृष्टि है - महात्मा गाँधी"

समूह शक्ति

जयपुर | माह - जून, जुलाई, अगस्त, 2013 | वर्ष - एक | अंक - 4 | मासिक समाचार पत्र

आर.आर.एल.पी. समूहों में आजीविका संवर्द्धन राशि का वितरण

सीमलवाड़ा – डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा ब्लॉक में जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, डूंगरपुर द्वारा स्वयं सहायता समूहों को ट्रॉंच–2 की राशि वितरित करने हेतु "आजीविका संवर्द्धन राशि वितरण समारोह" का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि श्री सुबीर कुमार, स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजीविका ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गई सूक्ष्म साख आजीविका योजना (MCLP) के आधार पर पात्र पाये गये समूहों को आजीविका संवर्द्धन राशि (ट्रॉंच–2) का वितरण किया। इस समारोह में डूंगरपुर जिले के 82 स्वयं सहायता समूहों में कुल 86.90 लाख रूपये की राशि वितरित की गई। गरीयाता पी.एफ.टी. क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों की 700 महिला सदस्यों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि परियोजनान्तर्गत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को सूक्ष्म साख आजीविका योजना बनाने के पश्चात उत्थान संस्थान (CDO) के माध्यम से वित्तीय सहयोग के रूप में 1,10,000 रूपये तक की राशि ऋण के तौर पर उपलब्ध कराई जाती है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के अन्तर्गत जुलाई माह के अंत तक 1219 स्वयं सहायता समूहों द्वारा सूक्ष्म साख आजीविका योजना (MCLP) तैयार कर ली गई है। इनमें से 1029 स्वयं सहायता समूहों को ट्रॉंच–2 की राशि वितरित की जा चुकी है। जुलाई माह के अंत तक डूंगरपुर जिले में कुल 452, धौलपुर में 303, उदयपुर, बांसवाड़ा एवं दौसा जिले में क्रमशः 64, 51 व 51 स्वयं सहायता समूहों को ट्रॉंच–2 की राशि वितरित कर दी गई है। इस राशि के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों के सदस्य अपनी आजीविका में वृद्धि कर आय बढ़ाने में सक्षम हो पायेंगे।

"कलम का नज़रिया"

महिलाओं को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़कर आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिये सतत् प्रयास किये जाते रहें हैं। महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उन्नयन पर केन्द्रित कई योजनाऐं व कार्यक्रम भी चलाये गये हैं। आजादी के 66 वर्षों में महिला उत्थान की अवधारणा कल्याणोन्मुखी से विकासात्मक दृष्टिकोण तक का सफर तय करते हुये महिला सशक्तिकरण का रूप ले चुकी है।

परन्तु ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के जीवनस्तर में आये परिवर्तन लगभग नगण्य रहें है। ग्राम्य परिवेश में महिलायें श्रम शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा होने के बावजूद भी आर्थिक रूप से वंचित व सामाजिक रूप से उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रही हैं। इतना ही नही पारिवारिक व सामाजिक निर्णयों में भी उनकी भूमिका नगण्य है। इन परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के लिये आवश्यक है कि महिलायें आर्थिक रूप से सशक्त हों।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्वयं सहायता समूह सक्रिय योगदान दे रहें है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर ग्रामीण अशिक्षित गरीब तबके की महिलायें न केवल स्वयं को आर्थिक रूप से समर्थ बना पाने में सक्षम होंगी वरन् इससे उनमें आपसी सहयोग द्वारा जीवन की अन्य समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी विकसित होगी।

स्वयं सहायता समूहों ने बचत की प्रवृति को बढ़ावा देने के साथ आर्थिक संसाधनो तक पहुँच को सुगम बनाया है। अब महिलाये समूह के माध्यम से बैंक द्वारा ऋण प्राप्त कर ऐसे कई कार्य कर सकती हैं जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाऐं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त करने, पुरूष प्रधान समाज में बराबरी का दर्जा पाने में सफल होंगी।

सुबीर कुमार (आई.ए.एस.)
स्टेट मिशन डायरेक्टर

सर्प सी.आर.पी. द्वारा समूह बनाने का कार्य प्रगति पर

राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के अन्तर्गत सर्प, हैदराबाद से आये सी.आर.पी. 10 जिलों के 10 ब्लॉक में रिसोर्स ब्लॉक स्ट्रेट्जी का क्रियान्वयन करते हुए ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के गठन का कार्य कर रहे हैं। रिसोर्स ब्लॉक स्ट्रेट्जी के तहत झालावाड़, कोटा, बारां, टोंक व चूरू जिले के चयनित रिसोर्स ब्लॉक क्रमशः बकानी, सांगोद, छीपाबड़ौद, निवाई तथा चूरू ब्लॉक में 26 अगस्त 2013 से तीसरा सी.आर.पी. राउण्ड प्रारम्भ हो गया है।

इससे पूर्व दो राउण्ड में 20 सी.आर.पी. दल इन पाँच जिलों में ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के लाभ से अवगत करा कर उन्हें संगठित कर कुल 744 समूहों का गठन करने में सफल रहे हैं। इसके साथ ही इन जिलों में 199 सक्रिय महिला कार्यकर्ता (वीमॅन एक्टिविस्ट्स) तथा 633 बुक कीपरों की पहचान भी कर ली गई है।

इसी क्रम में उदयपुर के रिसोर्स ब्लॉक खेरवाड़ा तथा बांसवाड़ा के आनन्दपुरी ब्लॉक में क्रमशः 230 तथा 216 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। वर्तमान में उदयपुर व बांसवाड़ा में द्वितीय सी.आर.पी. राउण्ड चल रहा है जिसका प्रारम्भ 19 जुलाई 2013 से हुआ था। इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा, डूंगरपुर व राजसमन्द में भी सी.आर.पी. गतिविधियाँ प्रथम राउण्ड की शुरूआत के साथ ही प्रारम्भ हो गई है। परियोजनान्तर्गत चयनित सभी 10 रिसोर्स ब्लॉक में सी.आर.पी. गतिविधियाँ प्रारम्भ होने से समूहों के गठन एवं उनके प्रशिक्षण कार्यों में गति आने लगी है। साथ ही उच्च गुणवत्ता के समूह भी तैयार हो रहे है।

जीविका सी.आर.पी. दलों द्वारा समूह बनाने की अच्छी शुरूआत

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत जीविका, बिहार से आये 12 सी.आर.पी. दलों व 3 ब्लॉक एंकर पर्सन द्वारा 27 अप्रैल 2013 से राज्य के तीन जिलों अजमेर, चित्तौड़गढ़ तथा जोधपुर के तीन ब्लॉक केकड़ी, बेगूं तथा बालेसर ब्लॉक में समूह गठन का कार्य प्रारम्भ किया गया।

41 दिन तक चले इस प्रथम राउण्ड में सी.आर.पी. दलों द्वारा 29 गाँवों में कुल 2671 ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर 231 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। इसके साथ ही इन तीनों ब्लॉक में 36 बुक कीपर तथा 38 सक्रिय महिला कार्यकर्ता (वीमॅन एक्टिविस्ट्स) की पहचान की गई है। ये सक्रिय महिला कार्यकर्ता सी.आर.पी. द्वारा बनाये गये स्वयं सहायता समूहों की सदस्य हैं जो अन्य समूहों के गठन एवं उनके सुचारू संचालन में सहयोग करेंगी।

फेडरेशन सी.आर.पी.द्वारा 744 समूहों का गठन

राजस्थान की महिला सी.आर.पी. भी अब आत्मविश्वास एवं सशक्तिकरण का परिचय देते हुए आन्ध्रप्रदेश व बिहार के सी.आर.पी. महिलाओं के समकक्ष समूह गठन का कार्य कर रही हैं। राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिये चलाई जा रही राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के अन्तर्गत फेडरेशन सी.आर.पी.द्वारा राज्य के छः जिलों दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, चूरू व बीकानेर के सात ब्लॉक में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है। अब तक एरिया फेडरेशन से जुडे 28 सी.आर.पी. दलों द्वारा 15–15 दिन के तीन चरणों कुल 744 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है।

फोटो गैलेरी

आजीविका संवर्द्धन राशि (Livelihood Investment Fund)

राजीविका द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं में स्वयं सहायता समूहों को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं स्थायी आजीविका को प्रोन्नत करने के उद्देश्य से आजीविका संवर्द्धन राशि का प्रावधान किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न उद्देश्यों व प्रयोजनों के लिये दो प्रकार की सहयोग राशि उपलब्ध कराई जाती है।

आजीविका संवर्द्धन राशिः– ट्राँच – 1

स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ करने के लिये समूह गठन के तीन माह के पश्चात् समूह को प्रारंभिक पूँजी के रूप में 15,000 रूपये की सहयोग राशि ट्राँच – 1 प्रदान की जाती है। ट्राँच – 1 प्राप्त करने से पूर्व समूह को प्राथमिकता योजना (Priority Plan) तैयार करनी होती है। इस राशि को देने का मुख्य उद्देश्य समूह के सदस्यों को उपभोग व अन्य बुनियादी आवश्यकताओं हेतु ऋण उपलब्ध कराना, आन्तरिक ऋण देने हेतु प्राथमिकता तय करने तथा सदस्यों में समूह में एकत्रित राशि के उचित उपयोग एवं प्रबन्धन क्षमता का विकास करना है।

आजीविका संवर्द्धन राशिः– ट्राँच – 2

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा आय–सृजन तथा आजीविका विकास सम्बन्धी गतिविधियों पर निवेश करने के उद्देश्य से आजीविका संवर्द्धन राशि ट्राँच – 2 के रूप में 1,10,000 रूपये तक की सहयोग राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। समूह के सदस्यों द्वारा आजीविका अर्जन हेतु कोई नया कार्य शुरू करने अथवा मौजूदा आजीविका अर्जन गतिविधि के विस्तार के लिए सूक्ष्म साख आजीविका योजना (Microcredit Livelihood Plan - MCLP) तैयार की जाती है। इस योजना के आधार पर समूह के सदस्यों को आवश्यकतानुसार ट्राँच – 2 की राशि जारी की जाती है। ज्ञातव्य है कि आजीविका संवर्द्धन राशि ट्राँच – 1 एवं ट्राँच – 2 समूह को उत्थान संस्थान (CDO) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

आजीविका दिवस में छाये राजस्थान के रंग

नई दिल्ली – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की स्थापना दिवस की द्वितीय वर्षगांठ के उपलक्ष में 3 जून, 2013 को "आजीविका दिवस" के रूप में नई दिल्ली में मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी थी। समारोह में श्रीमती गाँधी ने एनआरएलएम को महिला सशक्तिकरण की दिशा मे क्रियान्वित की जा रही एक महत्वपूर्ण एवं महत्वकांक्षी योजना बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से देश भर में 9 करोड़ से अधिक परिवारों को गरीबी से मुक्त कराने के प्रयास किये जायेंगे।

राजस्थान की ओर से श्री पी.सी. किशन, स्टेट मिशन डायरेक्टर के नेतृत्व में राजीविका से अधिकारियों की 9 सदस्यीय टीम एवं 45 स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों ने भाग लिया। इस समारोह में राजीविका द्वारा पाँच स्टॉलस लगाई गयी, जिनमें चार स्टॉल्स में स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये गये उत्पादों तथा एक स्टॉल में राजीविका द्वारा प्रकाशित साहित्य का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 24 राज्यों के मिशन मैनेजमेंट यूनिट के सदस्य परियोजना कर्मियों एवं स्वयं सहायता

समूहों की महिलाओं ने भाग लिया। समारोह के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा निर्मित उत्पादों एवं वस्तुओं तथा परियोजना सम्बन्धी साहित्य की प्रदर्शनी लगायी गयी। इस अवसर पर श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, केबिनेट मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार ने राजीविका द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा समूह के सदस्यों से भी चर्चा की।

इस अवसर पर राष्ट्रीय मिशन मैनेजमेंट यूनिट (एनएमएमयू) द्वारा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के जीवन में आये बदलाव पर आधारित सफलता की कहानियों के संकलन "प्रेरणा" का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में राजस्थान के धौलपुर जिले की श्रीमती कमलेश की जीवन गाथा को भी संकलित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कमलेश ने "अपनी कहानी अपनी जुबानी" के रूप में स्वयं सहायता समूह से जुडे अपने अनुभवों को सांझा किया। धौलपुर की श्रीमती कमलेश को समारोह में मुख्य अतिथि श्रीमती सोनिया गाँधी को पुष्प भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ।

आजीविका दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों से आयी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने प्रदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी। राजस्थान के बांसवाडा जिले की महिलाओं ने पारम्परिक नृत्य 'गेर' तथा जोधपुर की महिलाओं ने राजस्थानी लोक नृत्य घूमर की छटा बिखेरी। दौसा की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत स्वरचित गीत "बीस रूपयाँ को बाजरो" एवं नृत्य को दर्शकों से अत्याधिक सराहना मिली।

जयपुर माह - जून, जुलाई, अगस्त, 2013 वर्ष - एक अंक - 4 मासिक समाचार पत्र

समूह बना सुविधाओं का आधार

बांसवाड़ा – राजस्थान के दक्षिणांचल में जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले में राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूह इस क्षेत्र की गरीब महिलाओं का जीवन स्तर उन्नत करने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आनन्दपुरी पंचायत समिति की बड़लिया पंचायत में गठित रामदेव उत्थान संस्थान का सीता स्वयं सहायता समूह अल्पायु में ही सदस्यों के हर सुख–दुःख में सुविधाओं का आधार बन रहा है। 17 जनवरी 2012 को गठित इस समूह में 12 सदस्य हैं। समूह में सदस्यों द्वारा प्रति सप्ताह दस रुपए नियमित बचत की जा रही है। समूह को ट्रॉंच –1 मिलने के बाद समूह की बचत मिलाकर 20,000 रुपए संचित हुए। इन्हें चार सदस्यों को पांच–पांच हजार रुपए ऋण के रुप में वितरित किया है। सभी सदस्यों की प्राथमिकता तय कर दी गई है। जैसे–जैसे ऋण राशि वापस आयेगी वैसे–वैसे अन्य सदस्यों को ऋण दिया जाएगा। अध्यक्ष श्रीमती सीता ने बताया कि ट्रॉंच–1 मिलने से पहले हमने सदस्यों को ऋण की प्राथमिकता तय की थी।

जैसे समूह के खाते में ट्रॉंच–1 की राशि जमा हुई उसके दूसरे दिन ही हमारे समूह की सदस्य श्रीमती चेतन के पति अचानक बीमार हो गए और उन्हें बांसवाड़ा अस्पताल में आईसीयु में भर्ती कराया गया। इस पर ट्रॉंच–1 की राशि में वाली का क्रम नहीं होने के बावजूद उसे पांच हजार उसी समय दे दिए एवं समूह की सभी सदस्यों ने अलग से दो–दो हजार रुपए एकत्र कर दो सदस्यों को ईलाज में सहयोग के लिए बांसवाड़ा भेजा। लगभग आठ दिन अस्पताल में रहने के बाद चेतन के पति का स्वास्थ्य ठीक हुआ। इसके एक महिने बाद उसने सभी को राशि लौटा भी दी।

इसी तरह समूह की सदस्य शांति ने अपने खेत पर लगे टयूबवेल के पाइप लाने के लिए ट्रॉंच 1 की राशि में से 5,000 रुपए ऋण लिया। उसके पास 4,000 रुपए और थे। जब व्यापारी से उसने पाइप की लम्बाई के अनुसार राशि पूछी तो तेरह हजार उनकी कीमत बैठ रही थी। शांति निराश हो गई क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। समूह की बैठक के दिन उसे गुमसुम देख कर सदस्यों ने इसका कारण पूछा तो उसने पाइप की राशि पूरी नहीं हो पाने की बात बताई। इस पर सभी सदस्यों ने अपने घर से निजी बचत में से पांच–पांच सौ रुपए देने को कहा और उसे ढांढस बंधाया। अगले दिन ही शांति के पाइप आ गये। उसके खेत पर सब्जी का उत्पादन देखकर शांति भी खुश और सदस्य भी खुश थे। इसी तरह अन्य सदस्यों की समस्याओं का भी सदस्यों ने मिलकर हाथोंहाथ समाधान किया है। इस समूह को देखकर गाँव के वंचित लोगों में समूह बनाने की होड़ सी लगी हुई है।

प्रयाण गीत

समूह बनाने चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के
अब गरीबी जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के।।

पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं सेठ भी।
यह जतन क्या कर रहे हैं लोग मेरे गाँव के।।

समूह बनाने चल पड़े .....

छोटी बचत करने लगे हैं, हाथखर्ची काटकर।
अब समझने लग गये हैं, लोग मेरे गाँव के।।

समूह बनाने चल पड़े .....

नया सूरज अब उगेगा, राज्य के हर गाँव में।
महिलाएं जुटने लगी हैं, मीटिंग करने के नाम पे।।

समूह बनाने चल पड़े .....

चीखती है हर रुकावट, ठोकरों की मार से।
बेड़ियां खनका रहे हैं, लोग मेरे गाँव के।।

समूह बनाने चल पड़े .....

– संकलन कर्ता
विनोद पानेरी
प्रबन्धक एच आर डीपीएमयु, बांसवाड़ा

''आपका हक''
सुनवाई का अधिकार अधिनियम – 2012

लोक शिकायत एवं समस्याओं के प्रभावी व समयबद्ध निराकरण के उददेश्य से राजस्थान सरकार द्वारा ''सुनवाई का अधिकार अधिनियम – 2012'' को दिनांक 01.08.2012 से राज्य भर में लागू कर दिया गया है।

इस अधिनियम के तहत् कोई भी व्यक्ति राज्य की नीति, राज्य व केन्द्र सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिये, लाभ प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा लाभ समय पर प्राप्त न होने की शिकायत कर सकता है।

अधिनियम के मुख्य बिन्दु :–

1. शिकायतकर्ता के निवास स्थान के निकटतम स्थान पर सुनवाई की व्यवस्था।
2. जन शिकायत या परिवाद पर 15 दिवस में सुनवाई की अनिवार्यता होगी।
3. शिकायत/परिवाद पर लिये गये निर्णय की संसूचना 7 दिवस में देनें की अनिवार्यता।
4. परिवाद अपीलीय ज्ञापनों तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ कोई शुल्क देय नही।
5. ग्राम पंचायत, तहसील, उपखंड व जिला स्तर पर लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी एव पुनरीक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति।
6. प्रथम अपील पर निर्णय हेतु 21 दिवस की समय सीमा निर्धारित है।
7. समय पर सुनवाई नही होनें व निर्णय से असंतुष्ट रहनें पर 30 दिवस में प्रथम अपील का प्रावधान किया गया है।

स्वत्ताधिकारी राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के लिए प्रकाशन स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, उद्योग भवन, जयपुर द्वारा प्रकाशित।
प्रकाशक– सुबीर कुमार (आई.ए.एस.)
सम्पादक– डॉ. रश्मि शर्मा
सह सम्पादक– विजय शर्मा
संकलन– अंजु बर्क
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद
तृतीय तल, आरएफसी ब्लॉक, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.)।
दूरभाष : 0141–2227011, 2227416,
फैक्स : 2227723, website: www.rgavp.org

Printed by: Bhavan Graphic Printers # 09413341320